मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक सी/3-3/94/3/1 भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः—शासकीय सेवक द्वारा पदोन्नति से इंकार/परित्याग करने बाबत।

राज्य शासन के समक्ष यह प्रश्न उद्‌भूत हुआ है कि यदि किसी शासकीय सेवक को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर पदोन्नत किए जाने पर उसके द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया जाता है, तो इस संबंध में विभाग द्वारा या अगली विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा ऐसे शासकीय सेवक की पदोन्नति के संबंध में क्या कार्यवाही की जाना चाहिये।

2. उक्त संदर्भ में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई शासकीय सेवक जिसकी पदोन्नति के संबंध में आदेश जारी किए गए है किन्तु यह किन्ही कारणों से पदोन्नति परित्याग करता है तो यह माना जाएगा कि उक्त कर्मचारी का नाम उक्त चयन सूची से हटा दिया गया है. किन्तु इससे वह अगली पदोन्नति समिति की बैठक में विचार किए जाने के लिए अनर्ह नही माना जाएगा. यदि अगली पदोन्नति समिति द्वारा उसे पदोन्नति के योग्य पाया जाता है तो उसे पदोन्नत किया जा सकेगा किन्तु उसे पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति के चयन सूची के आधार पर वरिष्ठता की पात्रता नहीं होगी।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

हस्ता/-
(एस. सी. पण्ड्या)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक सी-3-3-1-3-94 भोपाल, दिनांक 31 मार्च 1995

प्रतिलिपिः—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
   सचिव, लोकायुक्त, म. प्र., भोपाल।
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र., इन्दौर।
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म. प्र. भोपाल।

2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. राजभवन, भोपाल.
सचिव, विधानसभा सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.

3. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल.

4. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर.

5. महाधिवक्ता, म. प्र. जबलपुर/ग्वालियर/इन्दौर.

6. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.

7. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.

8. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल.

9. मुख्यमंत्री जी/उप मुख्यमंत्रीगण/मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

हस्ता/-
(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.